न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, सारण
जमानत आवेदन सं0 831/23
दाउदपुर थाना कांड सं0 360/22
धर्मेन्द्र साह बनाम बिहार राज्य

आदेश

22.05.2023 आवेदक अभियुक्त धर्मेन्द्र साह, जो दिनांक 24.04.2023 से काराधीन हैं, के जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह को सुना। केस की प्राथमिकी भा0द0वि0 की धारा 147,341,323,307,504,379,506 के अन्तर्गत दर्ज है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह–अभियुक्त मंजय साह को जमानत आवेदन सं0 207/23 से जमानत की सुविधा वर्तमान न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। पक्षकारों के बीच दीवानी विवाद है। आवेदक अभियुक्त पर कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 24.04.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।

प्राथमिकी सूचक ज्योतिष साह के फर्दब्यान पर संस्थित है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 24.11.2022 को पट्टा पर किया गया खेत में बुआई को लेकर प्रेम साह, धनंजय साह, रंजय साह, मंजय साह, धर्मेन्द्र साह उर्फ पद्दू साह, धुमक साह, जितेन्द्र साह, जीतन साह सभी लाठी, डंडा एवं लोहे का रॉड लेकर आए और सूचक से गाली गलौज करने लगे तथा मना करने पर उक्त सभी लोग मिलकर मारपीट करने लगे। अभियुक्त धुमक साह जान मारने की नियत से सूचक के सिर पर लोहे के रॉड से कई बार प्रहार किया जिससे उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। जब सूचक को बचाने उसका भाई राजन साह आया तो उक्त सभी लोग उसे भी मारने लगे। अभियुक्त धनंजय साह उसके पॉकेट से 11300 रूपया निकाल लिया। ग्रामीणों के जुटने पर सभी लोग जान मारने की धमकी देते हुए चले गए। सूचक के परिजन उसे जख्मी हालत में ईलाज के लिए पी.एच.सी. एकमा ले गए। वहां से गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल छपरा ले गए। फिर बेहतर ईलाज के लिए उसे पी.एम. सी.एच. पटना रेफर कर दिया गया जहां वह ईलाजरत है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 24.04.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त पर कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। दोनों पक्ष आपस में पट्टीदार हैं तथा उनके बीच जमीनी विवाद है। कांड दैनिकी के पैरा–33 में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। सह–अभियुक्त मंजय साह को जमानत आवेदन सं0 207/23 से जमानत की सुविधा वर्तमान न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार आवेदक अभियुक्त धर्मेन्द्र साह के द्वारा 5,000/– रूपये का बंध–पत्र एवं समान राशि के एक प्रतिभू की प्रतिभूति निष्पादित करने पर जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम
सारण